

खण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
01/01/19	53 RTA	कुलिपारा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कमल सिंह	बनाम	धारसौलाल वर्मा	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-


दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

10/01/19

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कीद पत्र अंतर्गत धारा 53 RTA विरुद्ध धारसौलाल के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट खरिस्ता की अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रिपि. किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जरिये समन तलब कर पत्रावली दिनांक 01/01/19 को पेश हो।


21/1/19

अन्य पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 27/1/19 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

27/1/19

अन्य पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 01/01/19 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

01/01/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाद तालील समन प्राप्त। प्रतिवादी गणों 12/01/19 कोर से श्री राजेश लोचन एडवो. का वकालत नाम पेश हुआ जा शान्ति किया गया। अखिरे जाके पत्रावली दिनांक 01/05/19 को पेश हो।

8/5/19

अन्य पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12-6-19 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

5-24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5-11-24 को पेश हो।

44  
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

5-11-24

पत्रावली पेश हुई वकील करी उपा  
वकील करी उकरा को आगे पत्रावली  
करी पाटने से उकरा को मत रख  
कल पाटने से कल करी का का  
मत रख दिया जाय से पत्रावली फल  
भुगत के कल का तमील वकील के  
दाखिल करवाए है

वकील के नाम के नाम  
आधी नही एके  
दादी अभी के  
नाम है शाली  
गोट जे  
5/11/24